समाहरणालय, मधेपुरा
(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-66/स0अनु0, दिनांक-30.07.2015 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-अनुग्राहिक राहत उपशीर्ष -0010 बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान-विपत्र कोड N-2245021010010 मद में मो0-7,00,000/- (सात लाख) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन सिंहेश्वर एवं उदाकिशुनगंज में बज्रपात से हुये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नांकित शर्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है :-

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व में उपावंटन की गई राशि	वर्त्तमान में उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	अचंल अधिकारी, सिंहेश्वर	-	1,50,000/-	1,50,000/-
02	अचंल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	5,50,000/-	5,50,000/-
	कुल-	-	7,00,000/-	7,00,000/-

(मो0- सात लाख रूपये मात्र)।

उपावंटन की शर्ते :-

(1) यह आवंटन अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर एवं उदाकिशुनगंज में बज्रपात से हुये मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-453/आ0प्र0, दिनांक-21.07.2015 द्वारा प्रेषित अधियाचना के आधार पर सरकार से प्राप्त आवंटन से निर्गत किया जा रहा है।

(2) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561 वि0 (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(3) इस राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -उपमुख्य शीर्ष 02- बाढ़ चक्रवात आदि लघु शीर्ष-101-अनुग्राहिक राहत उपशीर्ष -0010 बज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान-विपत्र कोड N-2245021010010 मांग संख्या -39 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतादि के अलावे मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(4) संगत वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत उपावंटित राशि का नियमानुसार व्यय एवं समायोजन करना संबंधित उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(5) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का

विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवारी होंगे।

(6) उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर स्पष्ट रूप से मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष तथा विपत्र कोड का अंकन करना सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा त्रुटिपूर्ण आंकड़े के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(7) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15.03.2016 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

(8) उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार भेजते हुए उसकी एक प्रति उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गयी है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाये तो दिनांक 15-03-2016 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

(10) राशि व्यय होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र /व्यय प्रतिवेदन अविलंब आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : 563/ आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक : 29.08.15

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना पदाधिकारी, मधेपुरा को जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।